AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

कारपोरेट गवर्नेंस : अंकेक्षण के महत्वपूर्ण मूल्यांक के रूप में

डॉ. आशीष दूबे,
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,
विवेकानंद महाविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

वर्तमान परिवेश में कॉरपोरेट गवरनेस का महत्व व्यवसायिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगमीय क्षेत्रों के कार्य क्षेत्रों में विस्तार एंव जटिलता अनेक व्यवहारिक समस्यों को जन्म देता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ता है। निगमीय कार्यकलापो में समरूपता का अभाव अनेक विसंगतियों को जन्म देता है जिसके कारण निगमीय कार्यकलापो में सामन्जस्य स्थापित करने में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती है। निगमीय कार्यकलापों में सामन्जस्य एवं एकरूपता स्थापित करने में कारपोरेट गवरनेस की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्ययन में इन्ही तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

कारपोरेट गवरनेस, अंकेक्षण, कंपनी, वित्तीय प्रबंध।

कारपोरेट गवर्नेंस महत्वपूर्ण एवं आधुनिक कार्य प्रणाली है, जिसमें पारदर्शिता का विशेष महत्व है। कारपोरेट गवर्नेंस से अवधारणा या आशय व्यवसाय के संचालन से संबंधित अपने मन से है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कारपोरेट जगत निर्देशित तथा नियंत्रित होता है। यह एक कंपनी के संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित करता है जिसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के माध्यम से ऐसी संचालन प्रक्रिया को निर्माण किया जाता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्य प्रणाली का निरीक्षण करता है तथा कंपनी प्रबंधन प्रबंध संचालक अंश धारकों तथा अंकेक्षण को की भूमिका को निश्चित करता है। उपरोक्त कार्यो या क्रियाओं के संपादन के लिए वित्तीय विवरणों में पारदर्शिता अनिवार्य है ऐसी स्थिति में अंकेक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कारपोरेट गवर्नेस अंकेक्षण के योग्यता के मूल्यांकन का महत्व पूर्ण प्रमाण है जो कारपोरेट गवर्नेंस के सामान्य अर्थ को प्रदर्शित करता है। अंकेक्षण के द्वारा अपने कार्यों का संपादन कंपनी के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो अंकेक्षक के योग्यता पर निर्भर करता है तथा अंकित चक्की योग्यता के प्रमाण का निर्धारण कारपोरेट गवर्नेंस द्वारा किया जाता है।

परिचय

कारपोरेट गवर्नेंस शब्द की अवधारणा का उपयोग भारत की आधुनिक व्यवसायिक जगत में किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की कैबिनेट ने कारपोरेट गवर्नेंस को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो कंपनी के निर्देशित तथा नियंत्रित करती है। वह कंपनी के संपूर्ण संचालन प्रक्रिया को नियोजित करती है तथा इस प्रकार की संचालन प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसमें नियंत्रण प्रक्रिया प्रबंध संचालकों को तथा प्रबंधकों के मध्य संतुलन स्थापित हो सके। श्री शेखर दत्ता प्रबंध संचालक सीआईआई ने कारपोरेट गवर्नर के संदर्भ में राहुल बजाज कमेटी को दिए गए रिपोर्ट में कारपोरेट गवर्नेंस के गवर्नर संबंध में स्पष्ट किया है कि, कारपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रबंधन में पारदर्शिता लाती है, चाहे वह व्यापार हो या उद्योग, जो वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है चाहे

वह निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, इन सभी का निर्णय अस्तित्व है। अतः स्पष्ट है कि कारपोरेट गवर्नेंस निगम या नैतिकता निगम में पारदर्शिता तथा निगम मूल्यांकन का संयोजन है अर्थात् वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निगम क्रियाओं की परिचालन गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। कारपोरेट गवर्नेंस निगम गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निश्चित करती है। अतः भारत में कारपोरेट गवर्नेंस का विकास एक ऐसे मात्रक के रूप में किया गया है जो अंकेक्षको की योग्यता का मूल्यांकन करता है। शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन तथा निगम क्षेत्रों में उन्हें कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए नरेश चंद्र कमेटी तथा नारायणमूर्ति कमेटी के सुझावों के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रावधानों का निर्धारण किया गया है।

निगम श्रेष्ठता की अवधारणा

भारत के निगम क्षेत्र में गवर्नर के नए प्रावधानों को लागू किए जाने के पूर्व 15 मई 2000 में डॉ पी एल संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में निगम विकास संस्थान द्वारा शैक्षणिक संघ का गठन किया गया जिसके द्वारा निगम नियंत्रण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गएः

1. निगम श्रेष्ठता निश्चित करने के लिए स्वतंत्र स्वशासी संस्था का गठन किया जाए यह संस्था शोध शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के माध्यम से निगम क्षेत्रों की कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए प्रावधान किया जाए तथा निगम क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार के भी प्रावधान किया जाए। निगम क्षेत्र में श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उचित निगम का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. निगमीय कार्यों के अंशधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त बैठक नियोजन का प्रावधान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिये।
3. निगमीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण उचित मूल्यांकन एवं प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का निर्धारण ।
4. प्रबंधन एवं निर्देशन के मध्य कार्यों तथा दायित्व का स्पष्ट विभाजन जो निश्चित करें कि प्रबंधकीय निदेशकों के स्पष्ट दायित्व एवं वैधानिक दायित्व क्या है तथा अर्ध शासकीय के न्यू रचनात्मक एवं अन्य दायित्वों को स्पष्ट करें ।
5. संगठनात्मक संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए संगठनात्मक समस्याओं के कार्यों के मूल्यांकन तथा समीक्षा का उचित नियोजन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से अधिकारों व व्यक्तिगत हितों को नियंत्रित किया जा सके तथा स्वस्थ संगठनात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सके।
6. सार्वजनिक क्षेत्र की स्वीकृति तथा अस्तु चित्रित कंपनियों तथा वे कंपनियां जो विभिन्न वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षित हो ऐसी संस्थाओं के संचालक मंडलों तथा स्वतंत्र निदेशकों के संबंधित कारपोरेट गवर्नेंस के लिए आवश्यक सुझाव।

उपरोक्त सभी प्रावधान निगम की श्रेष्ठता को निश्चित करने तथा कार्यों में पारदर्शिता निश्चित करने से संबंधित है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्धारण मूल्यांकन तथा प्रस्तुतीकरण को भी महत्व दिया, जो अंकेक्षक के प्रस्तुतीकरण योग्यता से संबंधित है। उपरोक्त अवधारणा निगम क्षेत्र में कार्यों के मूल्यांकन के संदर्भ में अंकेक्षण के श्रेष्ठता को निश्चित करती है

अंकेक्षक की महत्ता

अंकेक्षक ऐसा अधिकारी है जो अपने ग्राहक द्वारा प्रस्तुत लेखांकन विवरण का अंकेक्षण कर सत्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदाई होता है, अर्थात् अंकेक्षक एक निरीक्षक की तरह होता है, ना कि उसका व्यवहार शिकारी की तरह होता है। उक्त कथन अंकेक्षक के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है तथा स्पष्ट करता है कि अंकेक्षण को अपने दायित्वों को पूरा करने के समय सतर्क रहना आवश्यक है। पूर्व में नरेश चंद्र कमेटी तथा नारायणमूर्ति कमेटी द्वारा दिए गए प्रावधान अंकेक्षक के कार्यों की श्रेष्ठता को निश्चित करने का प्रमाण है तथा

अंकेक्षण का यह दायित्व है वह अंकेक्षण के समय उक्त सभी प्रावधानों या प्रभावों का पालन ईमानदारी से करें।

प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध

अंकेक्षण का एक ग्राहक के मध्य प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध नहीं होना चाहिए अथवा किसी परियोजना में प्रत्यक्ष साझेदार नहीं होना चाहिए। इस दशा में अंकेक्षक स्वतंत्र निर्णय होने में सक्षम होगा तथा उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा

अग्रिम सुविधाः अंकेक्षक अपने ग्राहक से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त नहीं करेगा जो अग्रिम के रूप में हो जिसका माध्यम या गारंटर ग्राहक हो ।

व्यवसायिक संबंधः अंकेक्षण ग्राहक के साथ अंकेक्षक का कोई भी या किसी भी प्रकार का व्यवसायिक संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि अंकेक्षक और ग्राहक के बीच किसी भी प्रकार का व्यवसायिक संबंध अंकेक्षण कार्य को प्रभावित कर सकता है

व्यक्तिगत संबंधः अंकेक्षक का ग्राहक या ग्राहक के किसी अधिकारी के साथ व्यक्तिगत संबंध अंकेक्षण क्रियाओं को प्रभावित करेगा, अतः अंकेक्षक का ग्राहक या उसके किसी भी प्रकार के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होना चाहिए।

महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति

अंकेक्षक फर्म का कोई सदस्य या अंकेक्षक समूह का कोई सदस्य, ग्राहक कंपनी के किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं या उसकी नियुक्ति ग्राहक कंपनी या संबंधित कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर ना किया गया हो, उक्त स्थिति दोषपूर्ण अंकेक्षण की स्थिति को प्रदर्शित करती है

वित्तीय प्राप्ति और संबंधी प्रावधान

इस प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि अंकेक्षक अपने अंकेक्षण ग्राहक से इसी प्रकार से अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने अंकेक्षण ग्राहक अंकेक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य वित्तीय आगमन प्राप्त नहीं कर सकता जो किसी भी दशा में अंकेक्षक फर्म के कुल आगम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

अंकेक्षक अपने ग्राहक का किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सेवाएं कर सकता जो उसके पेशेवर व्यवहार से संबंधित है। अंकेक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है तथा वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के समझौता करने के लिए स्वतंत्र रहता है, किंतु वह अपने अंकेक्षण ग्राहक से किसी भी प्रकार के व्यवसायिक सेवाओं से संबंधित समझौता नहीं कर सकता जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं को शामिल किया गया हैः

1. अंकेक्षक अपने ग्राहक को किसी भी प्रकार के पुस्तक पालन तथा लेखांकन से संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता।
2. अंकेक्षक अपने ग्राहक को अंतरिम अंकेक्षण संबंधित सेवाएं नहीं प्रदान कर सकता।
3. अंकेक्षक अपने ग्राहक को ऐसी किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं कर सकता जिसका संबंध वित्तीय सूचनाओं से हो नहीं, ऐसी कोई नेटवर्क बना सकता है या उसका हिस्सा बन सकता है। जिसके माध्यम से ग्राहक संस्था को वित्तीय सूचनाएं प्राप्त होती है।
4. अंकेक्षक अपने ग्राहक को विनियोग सलाहकार, दलाल, एजेंट, मर्चेंट बैंकर अथवा वित्तीय सेवाओं से संबंधित सुविधाएं आदि उपलब्ध नहीं करा सकता।
5. अंकेक्षण ग्राहक के प्रबंधन या संगठन में अंकेक्षक स्थाई या अस्थाई कर्मचारी के रूप में सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता।
6. अंकेक्षण अपने ग्राहक को अन्य व्यवसायिक सेवाएं जैसे कार्य मूल्यांकन विशिष्टीकरण मूल्यांकन आदि नहीं प्रदान कर सकता।

समिति के अनुसार उपरोक्त दशाओं को ग्राहक एवं अंकेक्षक के मध्य लागू करने के बाद ही अंकेक्षक पूर्ण कार्य कुशलता से अपने ग्राहक के लिए अंकेक्षण कार्य कर सकेगा तथा श्रेष्ठ परिणाम देगा। उपरोक्त उठाए गए कदमों के द्वारा ही अंकेक्षक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी तथा वह संस्था के वित्तीय स्थिति प्रबंध की दृष्टिकोण वास्तविक दायित्व तथा संस्था के जोखिम एवं सुधारों के संबंध में स्वतंत्र विचार दे सकेगा। निगम में परिचालन के माध्यम से इस प्रकार व्यवसायिक संस्थानों को अंकेक्षण के माध्यम से व्यवसायिक समस्याओं के लिए उचित एवं निष्पक्ष सुझाव प्राप्त हो सकेगा तथा अंकेक्षक का यह दायित्व है कि वह उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही अंकेक्षण का संपादन करें। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर ही अंकेक्षक कृतियों की खोज मूल्यांकन तथा उचित व्याख्या कर सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह कि उक्त प्रावधानों का पालन किए जाने के परिणाम स्वरूप अंकेक्षक स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष निष्कर्ष अंकेक्षण समिति या ग्राहक कंपनी के संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त तथ्य स्वतंत्र निष्पक्ष अंकेक्षण द्वारा सत्यता को सामने लाने एवं प्रमाणित करने में सहायक है जो अंकेक्षक की योग्यता का मूल्यांकन करने में सहायक है। समिति के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में पंजीकृत या सार्वजनिक कंपनियां, जिनकी दत्त पूंजी एवं स्वतंत्र संचय 10 करोड़ रू. से अधिक हो या जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रू. वार्षिक से अधिक हो, के लेखों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षण की कार्यकुशलता के मूल्यांकन के लिए किए गए अन्य प्रावधानों में अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण कार्य एवं अंकेक्षण सुझाव का पुनः निरीक्षण, विशिष्ट कुशलता मूल्यांकन समिति के द्वारा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान कारपोरेट गवर्नर के अंतर्गत किया गया है। उपरोक्त सभी प्रावधान अंकेक्षण एवं अंकेक्षक के बीच संबंधों की व्याख्या करता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि, उदारीकरण के दौर में पूरा राष्ट्र नई दिशा की ओर बढ़ रहा है तथा नई व्यवसायिक ऊंचाइयां छू रहा है। अतः हर स्तर पर विशेषता लेखांकन मूल्यांकन तथा अंकेक्षण कार्यों के लिए उच्च स्तर आवश्यक है विशिष्ट दशाओं में अंकेक्षण कार्यों की स्पष्टता, स्वच्छता एवं पारदर्शिता आवश्यक है। उपरोक्त दिए गए प्रावधानों का पालन किए जाने पर निगम स्तर में उच्च स्तर का कुशल अंकेक्षण किया जाना संभव होगा तथा अंकेक्षण कार्यों में पारदर्शिता भी होगी

संदर्भ ग्रंथ

1. Governance structure and finance performance in the small corporation daily catherine Marie 1991 indian univerdity.
2. Out side director composition and corporate performance The university of tennessee.
3. Ku maraman galary Birla Committee Report 2000.
4. Reforming corporate Governance ICFAI Reader.
5. Why good accountants do Bad Audit Many Trigiani March 2003 Harrard Bussiness Review.
6. Corporate Governance striking the right balance Robert F felt or and mark wstson ICFAI Reader.

——==00==——